न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 70/22

GCMS NO 2023/47

1. श्रीमती अनिता पुत्र स्व0 लडडूलाल पत्नि डालूराम जाति मीना निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर पैत्रिक ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. श्रीमती ममता पुत्री स्व0लडडूलाल पत्नि कमलेश जाति मीना निवासी ग्राम बाडोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर पैत्रिक ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
3. प्रेमप्रकाश पुत्र स्व0 लडडूलाल जाति मीना
4. मनराज पुत्र स्व0 लडडूलाल जाति मीना
5. श्रीमती मिश्री देवी पत्नि स्व0 लडडूलाल जाति मीना निवासीयान ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
6. हरिया पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
7. रमेश चन्द पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
8. कन्हैया पुत्र स्व0मोती जाति मीना
9. राजू पुत्र स्व0मोती जाति मीना
10. राजाराम पुत्र स्व0मोती जाति मीना
11. भोला पुत्र भरतरी जाति मीना
12. मोहन लाल पुत्र भरतरी जाति मीना
13. सीताराम पुत्र भरतरी जाति मीना
14. चिरंजी पुत्र स्व0 रामफूल जाति मीना
15. रामजीलाल पुत्र स्व0रामफूल जाति मीना
16. श्रीमती रखी पत्नि स्व0रामफूल जाति मीना समस्त निवासीयान ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. हरफूल पुत्र नानगराम जाति मीना निवासी ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर (फौत)

1/1. श्रीमती प्रेम देवी पत्नि स्व0हरफूल जाति मीना

1/2. हरिराम पुत्र स्व0 हरफूल जाति मीना

1/3. श्रीराम पुत्र स्व0हरफूल जाति मीना

1/4. लोकेश पुत्र स्व0हरफूल जाति मीना निवासी ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

1/5. श्रीमती मनचीती पुत्री स्व0हरफूल पत्नि राजकुमार मीना निवासी ग्राम छारोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

1/6. श्रीमती विमला पुत्री स्व0हरफूल पत्नि चरतलाल मीना निवासी ग्राम कांवड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

1/7. श्रीमती निरमा देवी पुत्री स्व0हरफूल पत्नि हनुमान मीना निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 29/20 निर्णय दिनांक 30.8.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम सुन्दर गुप्ता

अभिभाषक रैस्पो0 श्री भंवर सिह जादौन

दिनांक 17.06.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.8.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा पेश क़ी है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 हरफुल ने एक प्रार्थना पत्र 251 (क) इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा न0 210 रकबा 2.06 है0 वाके ग्राम मानपुरा पटवार हल्का भगवतगढ मे स्थित है। जिस पर आने जाने हेतु खसरा न0 185 व 187 की मेड पर होकर खसरा न0 184 के पूर्वी मेड मे होते हुए खसरा न0 210 पर पहुॅचने के लिए 15 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध कराया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र 215 (क) स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अप्रार्थीगण/अपीलांटगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर विधिक रूप से गौर नही किया ना ही राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। कानूनन जिस खसरा न0 से रास्ता दिया गया है उनके रिकार्डेड खातेदारान/सहखातेदारान को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना कानूनन विधिक रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अति आवश्यक है। बिना उसकी सुनवाई व सबूत के उनके खेतो मे से होकर रास्ता दिया जाना कतई न्यायोचित नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

इस प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो/प्रार्थी हरफूल मीना को उसके खेत खसरा न0 210 मे आवागमन हेतु अपीलाधीन आदेश के द्वारा खसरा न0 178 व 185 के मध्य से होकर एवं खसरा न0 183 व 184 के मध्य से होकर 200 मीटर लम्बा व 2 मीटर चौडा रास्ता दिया है जबकि उक्त खसरा न0 183 के सहखातेदार कन्हैया,कैलाशी,चिरंजी,डगली,तुलसी,भोला, मोहनलाल, रखी,राजू,राजाराम ,रामजीलाल व सीताराम मीना मे से किसी को भी रेस्पो/प्रार्थी द्वारा न तो अपने प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया है और न ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हे तलब कर सुनवाई व सबूत का अवसर दिया है। इस प्रकार इन्हे तलब किया जाकर बिना सुने ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इनके विरूद्व आदेश पारित कर इनके खेतो मे होकर रास्ता देने का जो आदेश पारित किया है वह कानूनन कतई गलत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांटगण अनिता, ममता अपने ससुराल रहती है तथा प्रेमप्रकाश कई वर्षो से ग्राम भगवतगढ मे नही रहकर दिल्ली परीक्षा की तैयारी कर रहा है उनके सही पते की जानकारी को प्रार्थी हरफूल द्वारा छिपाया जाकर उनके वर्तमान पते नही दर्शाकर ग्राम भगवतगढ दर्शाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो बिलकुल गलत है। अपीलांट/अप्रार्थीगण को भेजे गये सम्मनो पर तामिल कुनिन्दा द्वारा ग्राम भगवतगढ मे नही मिलना दर्ज कर तामिल अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की गई थी जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की पर्याप्त तामिल नही मानते हुए भी एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो कानून के खिलाफ होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायलय मे ना तो स्वयं के बयान दर्ज कराये है ना ही पटवारी हल्का के बयान दर्ज कराये है। इस प्रकार प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र सशपथ बयानो एवं भू अभिलेख निरीक्ष की मिथ्या रिपोर्ट व मौके की स्थिति के विपरीत की गई रिपोर्ट के अधार पर तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को ही आधार बनाकर प्रार्थी/रेस्पो0 के पक्ष मे निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का व गिरदावर तथा तहसीलदार नें ना तो अपीलांट मे से किसी को बुलाया और ना ही मौके पर जाकर निरीक्षण किया। और ना ही मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। बल्कि गलत व अवेध रूप से प्रार्थी हरफूल के खेत खसरा न0 210 मे आवागमन का रास्ता अपीलांट के खेत खसरा न0 178 व 185 तथा 183 व 184 के मध्य से होकर होना बताते हुए अपनी रिपोर्ट भेज दी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यो पर गौर नही किया जाकर मिथ्या एंव गलत रिपोर्ट को ही सत्य व उचित मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित किया है जो कतई गलत एवं अन्यायोचित है। रेस्पो0 प्रार्थी हरफूल के खेत खसरा न0 210 वाके ग्राम मानपुरा पटवार हल्का भगवतगढ बी मे आवागमन का रास्ता खसरा न0 178 व 185 के मध्य मे होकर एवं खसरा न0 183 व 184 के मध्य मे होकर आज दिन तक कभी भी नही रहा है। बल्कि कदीमी समय से उक्त खेत खसरा न0 210 मे आवागमन का रास्ता आम रास्ते से ख0न0 187 के पूरब दिशा मे अटेच खसरा न0 186/697 मे मेड के सहारे होकर एवं फिर ख0न0 188 के पूरब दिशा मे अटेच खेत खसरा न0 186/697 मे मेड के सहारे होकर ख0न0 188 के पूरब दिशा के अटेच खेत खसरा न0 189 मे मेड के सहारे सहारे होकर रहा है। जिसमे होकर रेस्पो/प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

हरफूल अपने पूर्वजो के समय से ही अपने खेत मे आज दिन तक आवागमन करता रहा है। जो क सबसे सरल एवं लघुतम दूरी का भी है। प्रार्थी हरफूल द्वारा अपने प्रार्थना मे उक्त रास्ते मे होकर आवागमन के तथ्य को अपने प्रार्थना पत्र मे छिपाते हुए अपीलांट के खेत खसरा न0 185 व 187 की मेड पर होकर एवं खसरा न0 184 की पूर्वी मेड मे होकर मांग करते हुए नवीन रास्ता पाने की दुर्भावना से प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक से साँठगाँठ कर गलत व मिथ्या रूप से अपीलांट के खेत खसरा न0 178 व 185 एवं 183 व 184 के मध्य होकर सबसे सरल व लघुतम दूरी का रास्ता होने व दिया जाने की गलत एवं मिथ्या रिपोर्ट तैयार करवा ली जिसका अपीलांट को कोई इल्म नही होने दिया तथा सम्पूर्ण कार्यवाही आफिस मे बैठकर ही करवा ली। अपीलांट श्रीमान से पुनः नई टीम तैयार कर मौका रिपोर्ट तलव करने की प्रार्थना करते है एंवं उसमे अपीलांट को उचित न्याय प्राप्त हो सके। रेस्पो/प्रार्थी हरफूल ने अपने प्रार्थना पत्र मे खसरा न0 183 मे होकर रास्ते की मांग भी नही की है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर कतई गौर नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को नही थी । तहसीलदार द्वारा अपीलांट को उक्त आदेश का हवाला देते हुए उनके हिस्से की राशि प्राप्त करने के लिए भेजे गये नोटिस पर हुंई। रेस्पो/प्रार्थी हरफूल द्वारा प्रकरण मे हितवद्व व्यक्ति अपीलांट संख्या 6 एवं 8 लगायत 16 को प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया है जबकि अपीलांट संख्या 6 हरिया खसरा न0 178 का रिकार्डेड खातेदार है तथा रेस्पो0 संख्या 8 ता 16 खसरा न0 183 के रिकार्डेड खातेदार है। जिनके खेतो मे होकर रास्ते का आदेश पारित किया है जिससे उनके हित प्रभावित होने से वह एग्रीवड परसन है। जिनको अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रकरण मे तहसीलदार चौथ का बरवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी हरफूल पुत्र नानगराम जाति मीना निवासी भगवतगढ की राजस्व ग्राम मानपुर के ख0न0 210 दर्ज रिकार्ड माना है। प्रार्थी/रेस्पो0 की भूमि पर आने जाने के लिए बैकल्पिक रास्ता नही होने से रास्ते की बहुत आवश्यकता है। खातेदारी भूमि ख0न0 210 पर पहुँचने के लिए मानपुर के ख0न0 178 व 185 मे मध्य से होकर ख0न0 183 व 184 के मध्य से होकर लघुतम दूरी पडता है। मानपुर के खातेदार हरफूल पुत्र नानगराम जाति मीना निवासी भगवतगढ की खातेदारी भूमि खसरा न0 210 रकबा 2.06 है0 है। उक्तानुसार रास्ता दिये जाने की अभिशंषा के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिनस्थ न्यायालय मे समक्ष पेश हुई थी। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार चौथ का बरवाडा को अवलोकन व मनन किया। [illegible] रिकार्ड उपरोक्त ख0न0 पर पहुँच का कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। रास्ता या पहुँच मार्ग एक आवश्यक सुखाधिकार है किसी भी भूमि पर पहुँच हेतु रास्ता होना आवश्यक होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि तक पहुँच मार्ग दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। तहसीलदार चौथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

का बरवाडा की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न0 210 वाके ग्राम मानपुर तहसील चौथ का बरवाडा पर आने जाने हेतु ख0न0 178 व 185 के मध्य से होकर एवं ख0न0 183 व 184 के मध्य से होकर उक्त तालिका अनुसार लम्बाई 200 मीटर व चौडाई 2 मीटर अर्थात 400 वर्गमीटर भूमि बनती है। ग्राम भगवतगढ की डी एल सी दर 610234/—रूपये प्रति है0 के हिसाब से दुगनी 24412/—रूपये राशि अप्रार्थीगण खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दिलाई जाकर ख0न0 178 व 185 के मध्य से होकर एवं ख0न0 183 व 184 के मध्य से होकर लम्बाई 200 मीटर चौडाई 2 मीटर अर्थात 400 वर्गमीटर भूमि को नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करे। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 251 क राजस्थान आर टी एक्ट के अनुसार आई एल आर/हल्का पटवारी भगवतगढ व तहसीलदार चौथ का बरवाडा के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत रिपोर्ट मे यह माना है कि प्रार्थी/रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि ख0न0 210 मे आने जाने के लिए बैकल्पिक रास्ता नही होने से रास्ते की बहुत आवश्यकता है। खातेदारी भूमि ख0न0 210 पर पहुॅचने के लिए मानपुर के ख0न0 178 व 185 के मध्य से होकर ख0न0 183 व 184 के मध्य से होकर लघुतम दूरी पडती है ।इसलिए प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि तक पहुॅच मार्ग दिया जाना न्यायोचित है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा न0 210 रकबा 2.06 है0 वाके ग्राम मानपुर पटवार हल्का भगवतगढ बी पर आने जाने हेतु पूर्व से कोई बैकल्पिक रास्ता मौजूद नही होने के कारण भूमि खसरा न0 178 व 185 के मध्य से होकर खसरा न0 183 व 184 के मध्य से होकर रास्ता चाहा गया था। अपीलांट का कथन रहा कि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे भूमि खसरा न0 178 व 183 के खातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खेतो मे भी रास्ता प्रदान किया गया है जो प्रभावित पक्षकार है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट का यह कथन पूर्णतया साबित है। इसी प्रकार अपीलांट का कथन रहा कि अपीलांट अनिता एवं ममता अपने जन्म स्थान ग्राम मे नही रहकर अपने ससुराल के पते पर निवास करती है जबकि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उनके निवास का पता ग्राम भगवतगढ दर्शाया गया है जो विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध सम्मन नोटिसो के अवलोकन से [illegible] अनिता एवं ममता को जारी सम्मनो पर पता ग्राम भगवतगढ का अंकन है। इ[illegible] अप[illegible]ट का यह कथन भी अधिनस्थ [illegible] साबित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध सम्मन [illegible] दिनांक 30.8.22 को प्रार्थी/रेस्पो0 दिनांक 15.7.22 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.16 13:57:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वकील की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक पक्षीय आदेश है। इसी प्रकार तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा जो मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बनाई गई है उस रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है। प्रार्थी/रेस्पो0 हरफूल द्वारा खसरा न0 178 व 183 के जिन खातेदारो की भूमि मे से रास्ता प्रदान किया गया है उनको प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है ना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनको तलब किया जाकर सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है कि प्रकरण मे रास्ते के प्रयोजनार्थ काम आने वाली भूमि के खातेदार एवं सहखातेदारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार चौथ का बरवाडा से विवादित आराजीयात के बाबत माननीय राजस्व मंडल के निर्देशान्तर्गत मौका रिपोर्ट उभयपक्ष की उपस्थिति मे तैयार करवाई जाकर, प्राप्त रिपोर्ट पर उभयपक्ष को सुना जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अधिनस्थ अतः अपील रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 29/20 मे पारित निर्णय दिनांक 30.8.22 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे रास्ते के प्रयोजनार्थ काम आने वाली भूमि के खातेदार एवं सहखातेदारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार चौथ का बरवाडा से विवादित आराजीयात के बाबत माननीय राजस्व मंडल के निर्देशान्तर्गत मौका रिपोर्ट उभयपक्ष की उपस्थिति मे तैयार करवाई जाकर, प्राप्त रिपोर्ट पर उभयपक्ष को सुना जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 7.7.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:09 IST
Reason: SelfAttested